न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

(रामरतन सौंकरिया, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 08 / 2025
जीसीएमएस नं. 207 / 2025
प्रविष्टि दिनांक 09.10.2025

सरकार जरिए जिला पुलिस अधीक्षक,
टोंक, राजस्थान

..... सायल

बनाम

रामजीलाल उर्फ राजू पुत्र रामकिशोर जाति गुर्जर निवासी हाडावाली ढाणी तन ढाणी जुगलपुरा पुलिस थाना निवाई जिला टोंक

..... गैर सायल

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 (3) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :–1–अभियोजन अधिकारी, राजकीय पेरोकार
2–गैर सायल रामजीलाल स्वयं उपस्थित।

निर्णय दिनांक 14/11/25

प्रस्तुत इस्तगासे का संक्षेप में सार इस प्रकार हैं कि जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक द्वारा गैर सायल रामजीलाल उर्फ राजू पुत्र रामकिशोर जाति गुर्जर निवासी हाडावाली ढाणी तन ढाणी जुगलपुरा पुलिस थाना निवाई जिला टोंक के विरूद्ध यह इस्तगासा प्रस्तुत कर बताया कि गैर सायल आये दिन सार्वजनिक स्थानों पर शराब के नशे में होकर लडाई झगडा कर शान्ति भंग करने का आदि है, अतः गैर सायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर जिले से निष्कासित करने की कार्यवाही की जावे ताकि इलाके में शान्ति बनी रहे।

इस्तगासा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल की तलबी जरिये सम्मन की गई। गैर सायल स्वयं उपस्थित हुआ। गैर सायल एवं अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी एवं

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अभियोजन अधिकारी ने अपनी बहस में इस्तगासे में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि गैर सायल के विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत हुए है। गवाहान जो प्रोशिक्यूशन ने प्रस्तुत किये है उनकी विश्वसनीयता को नकारा नहीं जा सकता। गैर सायल के विरूद्ध थाना निवाई जिला टोंक पर दिनांक 17.05.2025 को शान्ति भंग करने के आरोप में अन्तर्गत धारा 170 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कार्यवाही कर श्रीमान उपखण्ड मजिस्ट्रेट निवाई के समक्ष पेश किया गया जिसे नेक चलनी हेतु न्यायालय द्वारा पाबन्द किया गया तथा दिनांक 29.05.2025 को अन्तर्गत धारा 170 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कार्यवाही कर न्यायालय श्रीमान उपखण्ड निवाई के समक्ष पेश किया गया जिसे नेक चलनी हेतु न्यायालय द्वारा पाबन्द किया गया। तथा दिनांक 27.07.2025 को अन्तर्गत धारा 170 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कार्यवाही कर न्यायालय श्रीमान उपखण्ड निवाई के समक्ष पेश किया गया। गैर सायल 20–20 हजार के जमानत मुचलकों पर नेक चलनी व शान्ति कायम रखने हेतु पाबन्द है।

अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि गैर सायल बचपन से ही बदमाश व्यक्तियों की संगत में आने के कारण आपराधिक प्रवृति व गलत संगत करने एवं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आये दिन सार्वजनिक स्थान पर शराब के नशे में होकर लडाई झगडा कर शान्ति भंग करने का आदि है जिससे समाज के लोगों पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसकी आम शोहरत खराब है, लोग इससे भयभीत रहते हैं। इसके बारे में कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता है। ऐसी स्थिति में गैर सायल का स्वतंत्र रहकर घूमना आम जीवन के लिए एवं शांति व्यवस्था के लिए पूर्ण रूप से खतरा बन गया है। अतः गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत जिले से अन्य जिले में निष्कासित किये जाने के आदेश फरमावें।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त परिशीलन किया तथा अभियोजन अधिकारी बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि गैर सायल के विरूद्ध प्रस्तुत इस्तगासा गुण्डा एक्ट की धारा 3(3) में प्रस्तुत किया है तथा गैर सायल के विरूद्ध उक्त प्रकरण शान्ति भंग करने के आरोप से संबंधित है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन करने से जाहिर होता है कि गैर सायल शान्ति भंग करने का आदी है। इस कारण समाज के लोगों पर निश्चित रूप से बुरा असर पड रहा है तथा भविष्य में भी गैर सायल आपराधिक कार्य को अंजाम दे सकता है। इसलिए इस आपराधिक प्रवृति को रोकने के लिए समाज हित में शांति व्यवस्था बनाये रखना आवश्यक है।

अतः पत्रावली में उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं चार्जशीट तथा दस्तावेजात का अवलोकन करने के पश्चात जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा स्वीकार कर

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

गैर सायल रामजीलाल उर्फ राजू पुत्र रामकिशोर जाति गुर्जर निवासी हाडावाली ढाणी तन ढाणी जुगलपुरा पुलिस थाना निवाई जिला टोंक को दिनांक 28.11.2025 से 10.12.2025 तक की अवधि के लिए शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस थाना निवाई जिला टोंक से पुलिस थाना बरौनी, जिला टोंक के लिए निष्कासित किया जाता है तथा उसे पाबन्द किया जाता है कि वह प्रकरण में अंकित अपराधों की पुनरावृति नहीं करेगा एवं थानाधिकारी पुलिस थाना बरौनी, जिला टोंक के यहां प्रतिदिन हाजरी दर्ज करावेगा। इस संबंध में थानाधिकारी पुलिस पुलिस थाना बरौनी, जिला टोंक आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावे। फैसले की प्रति संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक एवं सम्बन्धित थानाधिकारी को प्रेषित की जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो तथा बाद जाप्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 14/11/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(रामरतन सौंकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक